

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी
(पीठासीन अधिकारी श्री गुरु प्रसाद तंवर)

आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 82/2024

1. विमल कुमार पुत्र श्री केसरीलाल जैन जाति जैन महाजन निवासी डी 134 ए महावीर मार्ग अम्बाबाडी जयपुर (राज0)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी


उपस्थित:- श्री सांवरलाल चौधरी प्रार्थी

निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 28.08.2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बडला खेडा पटवार हल्का लामगरा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चापानेरी तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 1489 रकबा 1.59 है0 प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने-जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने-ले जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा नं. 1495 व 1490 का वर्षों से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थी को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थी की भूमि पर आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से 30 फीट चौड़ा रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी सं. 1 को प्रकरण प्रेषित कर जवाब मय मौका रिपोर्ट तलब की गई। पैरोकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिवायचक खसरा भूमि 1490 व 1495 में से प्रार्थी को रास्ता देने हेतु अप्रार्थी तहसीलदार भिनाय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर प्रार्थी ने भी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात पैरोकार सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि 1489 रकबा 1.59 है0 में जाने हेतु रास्ता खसरा नं. 1490 व 1495 में से होकर ही जाता है। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि यह रास्ता पुश्तैनी चला आ रहा है इसलिए


उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

निर्धारित नियमानुसार रास्ते हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि की दुगुनी लागत कायम करना ही उपयुक्त एवं न्यायोचित पाया जाता है। ग्राम बडलाखेडा की डी.एल.सी. दर 258255/- रु. प्रति हैक्टेयर बताई गई है। अतः खसरा नं. 1490 में से 700 वर्ग मीटर (77 मीटर लम्बा व 9.14 मीटर चौड़ा) एवं खसरा नं. 1495 में से 1700 वर्गमीटर (186 मीटर लम्बा व 9.14 मीटर चौड़ा)भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 25.82 रु. प्रति वर्ग मीटर राशि 123962/-(36156+87806) मुकर्रर की जाती हैं। प्रार्थी द्वारा राशि राजकोष में जमा कराई जावे। प्रार्थी खातेदार के लिए ग्राम बडलाखेडा पटवार हल्का लामगरा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चापोनरी तहसील भिनाय स्थित सिवायचक भूमि खसरा नं. 1490 में से 700 वर्ग मीटर एवं खसरा नं. 1495 में से 1700 वर्गमीटर भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1489 तक रास्ता/मार्गाधिकार कायम किये जाने के आदेश पारित किए जाते है तथा तहसीलदार भिनाय को उनके राजस्व नक्शों में दर्शित रास्ते की यथानुसार तरमीम कर इन खसरा नं. का बट्टा नंबर कायम कर खाते सरकार किस्म रास्ते से लगाने के आदेश पारित किए जाते है। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। नंबर से कम दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(9)
(गुरु प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)